

प्रेषक,

आनन्द प्रकाश उपाध्याय
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में स्वीकृति धनराशि को गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रभावित कृषको को कृषि निवेश की धनराशि वितरित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके फैक्स पत्र संख्या-691/मु0रा0आ0-03(13) / दै0आ0 / 2010-11, दिनांक 16.12.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-3839/1-10-2010-14(63)/2010, दिनांक 03.12.2010 द्वारा जनपद झाँसी को कृषि अनुदान की मद में स्वीकृत धनराशि रू0 15358367.00 (रूपये एक करोड़ तिरपन लाख अठ्ठवन हजार तीन सौ सडसठ मात्र) की धनराशि को गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में कृषको को देय धनराशि व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त शासनादेश दिनांक 03.12.2010 के प्रस्तर-6 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

संख्या-4115 (1)/1-10-2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडित प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. मण्डलायुक्त झाँसी ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ ।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया राहत की वेबसाइट पर इसे अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, लखनऊ ।
6. कोषाधिकारी/मुख्यकोषाधिकारी, झाँसी ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
8. समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव